

उत्तर प्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2
संख्या-19/2017/836/18-2-2017-97(ल030)/2016
लखनऊ:दिनांक: 28 नवम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अवगत ही हैं कि शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित ई-मार्केट प्लेस (जेम) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है एवं शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा विकसित ई-मार्केट प्लेस (जेम) पर शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु जेम के तकनीकी अधिकारियों की एक सेल का गठन किया गया है जिसमें सम्मिलित तकनीकी अधिकारियों का सम्पर्क विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	नाम व पद नाम	मोबाइल नम्बर	ई-मेल
1	श्री प्रवीण बाधवानी, कन्सलटेन्ट	8090482904	praveen.badhvani@intellectdesign.com
2	श्री संजय डहरिया, रीजनल मैनेजर	7987704212	sanjai.deharia@intellectdesign.com

3- अवगत कराना है कि उक्त सेल का कार्यालय, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, कैसरबाग, लखनऊ में होगा।

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ विभागों/संस्थानों/निगमों/उपक्रमों के संबंधित अधिकारियों को उक्तानुसार सूचित करने का कष्ट करें।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
- 5- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन 30प्र0, कानपुर।
- 7- संबंधित तकनीकी अधिकारी, जेम।
- 8- अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, कैसरबाग, लखनऊ।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया हैइ:अत:स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।